

फर्ड अहकाम

(नियम 26)

मज अदालत सहायक कलक्टर मुकाम भीलवाड़ा

भूमिगत

बनाम

सत्यनाथय्य

कस्म मुकदमा 53, 88, 89, 188 नं. 112 सन् 2024

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

31/12/24

बाद जाँच वाद/प्रार्थना पत्र/इंजराय/अपील पेश
हुई. दर्ज रजिस्टर किया जावे। सूचना विपक्षीगणों को
जरिये तलवाना के अनुसार जारी हो। पत्रावली दिनांक
...9/1/25... को पेश हो।

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

9/1/25

पत्रावली पेश हुई। वादी अडि० ०३५०
वादी अडि० ०३५० में सम्मन नोटिस Reg-
मि० केस नंबे केस करने पर जारी करे
पत्रावली दिनांक 11/2/25 को पेश हो

11/2/25

पत्रावली पेश हुई। वादी अडि० ०३५०
पत्रावली आधीक आदेश में दिनांक
3/3/25 को पेश हो

3/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी अडि० ०३५०
पत्रावली सम्मन नोटिस वाइतगार दिनांक
17/3/25 को पेश हो

17/3/25

पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी आधि.
अनुपस्थित। वादी एवं वादी आधिवक्ता को
निधमानुसार तीन बार आवाने लगाई गई,
परन्तु कोई उपस्थित नहीं आया। वादी एवं वादी
आधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी उक्त
उद्धृत वाद अनन्तगत द्वारा 53, 88, 89 एवं 188

— लगातार —

सहायक कलक्टर

भीलवाड़ा

वाद सं. 112/2024


शैकलाल vs सत्यनारायण वर्मा

17/3/25

शपथ-मान का इतना ही आदिनिधम की अदम हाजरी।
अवक पैकी वीं जाशिव किता वाता है। निणजि से
इवलाय सुनाया गया। रिक्की पर्यां जारी ही।

पत्रावली फैजल शुमार लोका दाखिल

दाखिल ही तथा नक्का ले कम ही।


17/3/25

सहायक कलेक्टर
भीलवाड़ा

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

न्यायालय सहायक कलक्टर भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी—अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस.

1. भैरू लाल माली पुत्र डालु लाल जाति माली, उम्र वयस्क निवासी नरसिंहपुरा, गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण माली पुत्र डालु लाल जाति माली उम्र वयस्क निवासी नरसिंहपुरा, गुरला तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
2. गुलजार अहमद नीलगर पुत्र शफी मोहम्मद नीलगर, उम्र वयस्क निवासी नीलगरों की हथार्ई के पास पुर तह0 एवं जिला भीलवाड़ा
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा।

प्रतिवादीगण

**वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरुस्थी, विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा**

प्रकरण संख्या 112/2024 राजस्व वाद

वादी अधिवक्ता श्री प्रताप तेली अनुपस्थित — इस वाद में आज तारीख 17.03.2025 को पीठासीन अधिकारी अरुण कुमार जैन, आर.ए.एस. सहायक कलक्टर भीलवाड़ा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर निम्न आदेश दिया गया है, जिसके अन्तर्गत डिक्री दी जाती है—

वादी एवं वादी अधिवक्ता के उपस्थित नहीं आने से वादी द्वारा प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अदम हाजरी/अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।


(सहायक कलक्टर) जैन
भीलवाड़ा
सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा